भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3606
दिनांक 13 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण

3606. **श्री जिया उर रहमान:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेषकर देश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों से अवगत है; और

(ख) यदि हाँ, तो पोषण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने और महिलाओं एवं बच्चों के लिए समग्र कल्याण सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): प्रभावी कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के उद्देश्य से, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों के पोषण, सुरक्षा और कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और उन्हें तीन व्यापक मिशनों अर्थात-(1) पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए 'मिशन शक्ति' और (3) विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के संरक्षण, देखरेख और कल्याण के लिए 'मिशन वात्सल्य' में समेकित किया गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप-वर्टिकल में पुनर्गठित किया गया है: (i) बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा और (iii) उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी अवसंरचना।

इस मिशन के अंतर्गत 28.02.2026 तक लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है:

बच्चे	7,67,90,933
गर्भवती महिलाएं	57,90,373
स्तनपान कराने वाली माताएं	56,43,545
किशोरियां	15,61,716

(ii) मिशन शक्ति: इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यकलापों को मजबूत करना है। मिशन शक्ति में दो मुख्य भाग शामिल हैं: 'संबल'- महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है और 'सामर्थ्य', देश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों सहित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। 'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत (नारी अदालत) घटक शामिल हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (संकल्प: एचईडब्ल्यू) घटक हैं।

31 जनवरी, 2026 तक, देश भर में ओएससी और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग **1.11** करोड़ महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

पीएमवीवीवाई योजना के तहत लगभग 4.27 करोड़ लाभार्थियों को 20,101.00 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य में जरूरतमंद और देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन मोड में बेहतर पहुंच और संरक्षण के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) शामिल की गई है, जिसका उद्देश्य (i) कठिन परिस्थितियों में

रहने वाले बच्चों की सहायता और भरण-पोषण करना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान तैयार करना, (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के अवसर उपलब्ध कराना और (iv) साझा कार्रवाई को मजबूत करना है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत लगभग 82,005 बच्चे संस्थागत देखरेख में हैं और 3799 बाल देखभाल संस्था में हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राष्ट्रीय बजट का एक निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटित करती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लैंगिक बजट विवरण में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें उनका पोषण, सुरक्षा, सशक्तिकरण आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में लैंगिक बजट आवंटन की जानकारी कुल 53 मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने दी है। जिन मंत्रालयों/विभागों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लैंगिक बजट में अपने कुल आवंटन का 30% से अधिक की सूचना दी है, उनमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (81.73%), ग्रामीण विकास विभाग (69.92%), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (48.60%), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (48.04%), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (46.34%), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (40.44%), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (39.05%), उच्च शिक्षा विभाग (32.25%), पंचायती राज मंत्रालय (30.93%), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (30.22%) और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (30.10%) शामिल हैं।
